

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या-4315 एलएस/14- 41मिस/एलएस/98

दिनांक 16 दिसम्बर :2014

- 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम,
- 2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो
उ०प्र० परिवहन निगम,
- 3-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,(कार्मिक),
उ०प्र० परिवहन निगम,
- 4-समस्त सहायक विधि अधिकारी,
उ०प्र० परिवहन निगम,

423/Gm/98 MS/14
18/12
29/12/2014
17/12

विषय:-परिवहन निगम के विरुद्ध दाखिल होने वाले दुर्घटना वारदों की प्रभावी पैरवी में आई०टी०एम०एस० प्रणाली से सृजित सूचनाओं की भूमिका।

उपर्युक्त विषयक परिपत्र सं०-1273एलएस/14-41मिस/एलएस/98 दिनांक 21.04.14 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया था कि मोटर दुर्घटना वारदों में आई०टी०एम०एस० प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं को अनिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कराकर निगम के पक्ष को प्रभावी ढंग से रखा जाय।

संज्ञान में आया है कि वर्णित परिपत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही है कि आई०टी०एम०एस० प्रणाली की जानकारी क्षेत्रों को प्राप्त नहीं हो पायी है।

सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या-1273एलएस/14- 41मिस/एलएस/98 दिनांक 21.04.14 कि प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि दुर्घटना वारदों में अनिलेखीय साक्ष्य के रूप में आई०टी०एम०एस प्रणाली से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग कर निगम पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कराया जाय, तथा निगम अधिकारियों एवं विधि प्रकोष्ठ के अधिकारी/कार्मिकों को आई०टी०एम०एस प्रणाली के सन्दर्भ में प्रशिक्षण दिलाया जाय, ताकि वह आई०टी०एम०एस प्रणाली से पूर्ण रूप से निज्ञ होकर निगम का पक्ष समुचित रूप से अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। प्रशिक्षण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स, पुष्टि हेतु मुख्यालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

संलग्नक-संशोधित।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-1-प्रधान प्रबन्धक(आईटी-एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-समस्त प्रधान प्रबन्धक (संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3-गार्ड फत्रावली।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

Gm(C.P.)

17/12/14

Shankar Kumar

17/12/14